

29/09/25

आज यह पत्रावली पेशा हुई अहमदनगर पक्षकारण  
 उपा हमने पत्रावली का अद्ययन किया एवं परीक्षा  
 किया गया। धार्मिक पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13  
 व-धारा 15। जा. दी. व मिलसिले मु. नं. 114/2024  
 उनपान सुशीला बनारु भंवर सिंह वर्ग में वादीगण  
 सुशीला व किरण बनाये गये हैं, जबकि धार्मिक पत्र  
 व इसके साथ पत्र पर अपार्थी गण के हस्ताक्षर  
 कराये गये हैं। इसी प्रकार वकालतनाम पर  
 हस्ताक्षर कराये गये हैं तथा दूसरे वकालतनाम  
 पर अचिवकलागण नवीन कुमार पाठेय व प्रफुल्ल  
 चन्द जो हस्ताक्षर किये हुये उनसे जानकारी करने  
 पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं करने बाधत अवगत  
 कराया गया है तथा सुशीला से भी जानकारी करने  
 पर उन्होंने भी हस्ताक्षर करने से मना किया।  
 अतः दिनांक 20.08.25 को प्रस्तुत वकालतनाम  
 पर जो हस्ताक्षर किये हुये हैं, सही नहीं पाये  
 जाते हैं तथा धार्मिक पत्र पर नियम संगत  
 हस्ताक्षर नहीं होने से धार्मिक पत्र खारिज  
 माना है।

अतः धार्मिक पत्र आदेश 9 नियम 13 व  
 धारा 15। जा. दी. इसी स्तर पर खारिज किया  
 जाता है।

पत्रावली फेसल सुमार बेकर नेबर से  
 कम हो, बाद तकनीक जाया हाथिल कान्तर  
 हो।

*Signature*  
 अचिवकलागण  
 मुसावर (भरतपुर) राज.